न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

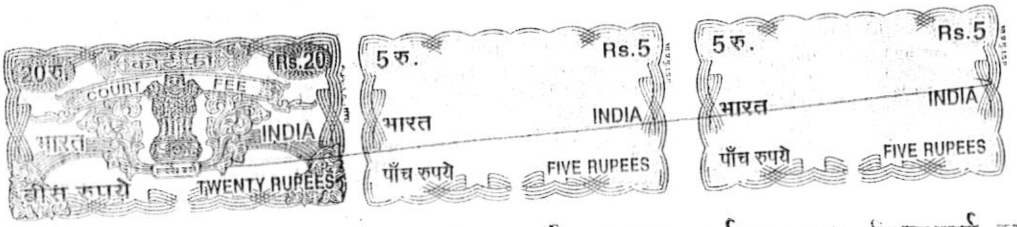

Rs 30/-

R 5220-III/17

1- सरमन उर्फ राम प्रसाद विश्वकर्मा तनय स्व0 नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 65 साल पेशा- खेती, निवासी ग्राम गिंजारा तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 हाल निवास ग्राम कुल्हरिया थाना परसमनिया तहसील उचेहरा जिला सतना म0प्र0

2- सुरेश प्रसाद विश्वकर्मा तनय स्व0 बाबूलाल विश्वकर्मा उम्र 40 साल पेशा- मजदूरी निवासी ग्राम गिंजारा तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

.... निगरानकार गण

अधि0 श्री जसराम विश्वकर्मा द्वारा पेश। 27-5-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1- राजेश तनय रामखेलावन विश्वकर्मा उम्र 35 साल निवासी ग्राम गिंजारा तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

2- रामखेलावन तनय स्व0 नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 65 साल पेशा- खेती निवासी ग्राम गिंजारा तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

3- मोतीलाल विश्वकर्मा तनय स्व0 नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 70 साल पेशा- खेती, निवासी ग्राम गिंजारा तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 हाल निवास ग्राम हरदुआ तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

..... गैर निगरानकार गण

4- शासन म0प्र0

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल नागौद तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 के आराजी नं. 140/5/2 का ट्रेस नक्शा तरमीन दिनांक 30.12.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का0 मा0 अधि0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है

पृ....2

सरमन सुरेश प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5220––दो / 2017 निगरानी जिला – सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त नागौद तहसील नागौद जिला सतना व्दारा भूमि सर्वे कमांक 140/5/2 का नक्शा तरमीम वावत् दिये गये आदेश दिनॉक 30–12–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि विचारण न्यायालय में मूल मामला नक्शा तरमीम पर आधारित है। नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को दी गई शक्तियों के अधीन की जाती है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश राजस्व मण्डल में निगरानी योग्य न होकर प्रथम अपील उप खण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को होगी। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। विचाराधीन निगरानी गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	